संख्या-35/2017/3115/86-2017-2(216)/93

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 23 नवम्बर, 2017

विषयः- ईट भट्ठों के लिये ईट बनाने की मिट्टी पर रायल्टी समाधान योजना वर्ष- 2017-18

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त ईट भट्ठों के लिए ईंट बनाने की मिट्टी पर रायल्टी समाधान योजना की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :-

1. यह समाधान योजना ईट-भट्ठा सत्र, वर्ष 2017-18 (दिनांक 01.10.2017 से 30.09.2018 तक) के लिये होगा।
2. शासनादेश संख्या-3623/86-15-1(216)/93, दिनांक 20 जनवरी, 2016 द्वारा ईट मिट्टी रायल्टी समाधान योजना योजना लागू करते हुये विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी अ, ब, एवं स) के जनपदों के लिये पायों की संख्या के आधार पर रायल्टी की वार्षिक धनराशि निर्धारित की गई थी। चूंकि ईट मिट्टी की रायल्टी में वर्ष 2016-17 में वृद्धि की गयी है, अतः भट्ठा सत्र वर्ष 2017-18 में ईट-मिट्टी की रायल्टी शासनादेश दिनांक 20 जनवरी, 2016 में दी गई तालिका के अनुसार देय होगी।
3. ईंट बनाने में काम आने वाले पलोथन मिट्टी (बलुई मिट्टी) के लिये भी प्रस्तावक को ईंट मिट्टी रायल्टी समाधान योजना के अन्तर्गत पूर्व की भांति ईंट मिट्टी के लिये देय रायल्टी की धनराशि के अतिरिक्त 10 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी, साथ ही पलोथन मिट्टी के खनन क्षेत्र का विवरण भी उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) निमयावली, 1963 (यथासंशोधित) के प्रपत्र एम0एम0 08 पर प्ररस्तुत किया जायेगा।
4. प्रस्तावक को ईट मिट्टी पर देय स्वामित्त की धनराशि (रायल्टी) के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि जिला खनिज फाउन्डेश न्यास के साथ-साथ अनुमन्य जी0एस0टी0 तथा टी0डी0एस0 का भुगतान भी करना होगा।
5. ईंट मिट्टी का खनन सक्षम प्राधिकरण से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही किया जायेगा।
6. ईंट मिट्टी की निकासी हेतु समाधान योजना अपनाने के इच्छुक भट्ठा मालिक अपने ईंट-भट्ठों में पायों की संख्या का उल्लेख करते हुये इस आशय का शपथ पत्र संलग्न प्रारूप पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि वे शासन द्वारा ईट-मिट्टी निकासी हेतु रायल्टी समाधान योजना स्वीकार करने के इच्छुक है एवं इस सम्बन्ध में निर्धारित सभी शर्तो का पालन करेंगे।

7. 31 मार्च, 2018 तक जमा की गयी रायल्टी की धनराशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा, किन्तु उक्त तिथि के उपरान्त जमा की गयी धनराशि पर उक्त नियमावली, 1963 के नियम-58(2) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ब्याज देय होगा।

8. यदि कोई ईंट भट्ठा स्वामी, समाधान योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं तो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के अध्याय-6 के प्राविधान के अन्तर्गत खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर तथा पर्यावरण के सुसंगत नियमों के तहत स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईट मिट्टी के खनन कार्य प्रारम्भ करेगा।

9. समाधान योजना हेतु आवेदन-पत्र के साथ मानचित्र उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं होगा किन्तु आवेदक को निर्धारित प्रपत्र एम0एम0-08 पर अपेक्षित खसरा संख्या-क्षेत्रफल, ग्राम, तहसील व जनपद के नाम सहित खसरा व खतौनी की सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र के साथ पायों की संख्या के आधार पर देय रायल्टी एवं आवेदन शुल्क रू0 2000/- एवं बिन्दु संख्या-02 में उल्लिखित धनराशि जमा किये जाने का चालान संलग्न करना होगा।

10. समाधान योजना के अन्तर्गत स्थापित/प्रस्तावित ईट भट्ठा पायों की संख्या का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भट्ठे में पायों की संख्या ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में घोषित पायों की संख्या से अधिक पायी जाती है, तो सामाधान योजना अस्वीकार कर दी जायेगी तथा ऐसे ईट-भट्ठों के गड्ढ़ों की नाप कर नियमानुसार राजस्व क्षति वसूल की जायेगी।

11. समाधान योजना के अन्तर्गत ईंट मिट्टी की रायल्टी जमा करने हेतु चालान 04 प्रतियों में उपलब्ध कराया जायेगा जिससे कि चालान की एक मूल प्रति प्रयोगकर्ता के पास रहे, ताकि ईंट मिट्टी/बलुई मिट्टी के परिवहन के समय चालन की मूल प्रति दिखाई जा सके।

12. ईंट भट्ठा स्वामियों द्वारा ईंट भट्ठे के पायों में परिवर्तन की सूचना 30 दिनों के अन्दर संबंधित जिलाधिकारी एवं निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।

13. ईंट मिट्टी की रायल्टी की समाधान योजना स्वीकार करने वाले ईंट भट्ठों के गड्ढ़ों की पैमाइश नहीं की जायेगी परन्तु ईट भट्ठा स्वामियों द्वारा नियमावली, 1963 के नियम-3, 21 एवं 41 (ड.) का पालन किया जायेगा।

14. ईंट मिट्टी का खनन स्वीकृत गाटा संख्या के अन्तर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दिये शर्तो के अधीन ही किया जायेगा। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही खनन कार्य एवं मशीनों का प्रयोग किया जायेगा।

15. जनपद में कोई भी ईंट भट्ठा स्वामी समाधान योजना के अन्तर्गत बिना अग्रिम रायल्टी जमा किये तथा समाधान योजना स्वीकार न करने की दशा में नियमावली, 1963 के प्राविधानों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत खनन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त किये बिना ईट बनाने की मिट्टी का खनन एवं ईंटों का निर्माण कार्य नहीं करेगा। यदि कोई अवैधानिक खनन करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

16. जनपद में कार्यरत भट्ठों की प्रामाणिक सूचना प्राप्त करने हेतु जनपद के व्यापार कर विभाग तथा जिला पंचायत आदि में पंजीकृत ईंट भटठों की सूची तथा तहसील के माध्यम से लेखपालों की पड़ताल के आधार पर प्राप्त सूची का मिलान कराकर, वास्तवित कार्यरत भट्ठों के पायों की संख्या सहित पहचान की जायेगी। पहचान के उपरान्त वास्तविक रूप से कार्यरत ईंट भट्ठों के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

17. उक्त रायल्टी समाधान योजना मा0 न्यायालयों, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अधीन प्रवृत्त होगी।

कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करते हुये शासन एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

राज प्रताप सिंह

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 3115(1)/86-2017-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- आयुक्त, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सभी जिलों के व्यापार कर अधिकारियों को अधिकृत ईट-भट्ठों की प्रत्येक वर्ष की सूची संबंधित जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत करायें।

5- समस्त अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।

6- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आत्मा राम

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ईट-मिट्टी की समाधान योजना स्वीकार करने हेतु शपथ-पत्र

मैं.....पुत्र श्री.....
निवासी.....
प्रो०-.....(ईट-भट्ठा का नाम)
स्थान:-ग्राम-.....तहसील-.....जिला-.....।
शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

(1) मैं/हम उपरोक्त ईट भट्ठे का प्रोपराईटर/पार्टनर हूँ/हैं।

(2) यह कि उक्त ईट-भट्ठा में कुल.....पाये है।

(3) यह कि ईट-मिट्टी का खनन गाटा संख्या.....
ग्राम-.....थाना-.....
तहसील-.....,जिला-.....से किया जायेगा।

(4) यह कि मैं/हम उक्त ईट-भट्ठे के ईट-मिट्टी खनन की समाधान योजना स्वीकार करना चाहता हूँ/हैं।

(5) यह कि मैंने ईट-मिट्टी खनन हेतु, पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण-पत्र (E.C) प्राप्त करने हेतु सक्षम प्रार्थना पत्र/प्रोजक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है, जिसकी पावती संलग्न कर रहा हूँ।

(6) यह कि सक्षम प्राधिकार से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र (E.C) प्राप्त होने के उपरान्त खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर ही खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(7) यह कि मैं उक्त समाधान योजना हेतु निर्धारित रायल्टी की धनराशि अग्रिम रूप से जमा करना चाहता हूँ।

दिनांक:-

शपथकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।